संख्याः– 464 / XXIV-B-5 / 2020–3(1)2020

प्रेषक,

ओम प्रकाश
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

3– निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

4– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी
शिक्षा परिषद, रामनगर बोर्ड,
नैनीताल

5– समस्त अपर निदेशक / संयुक्त
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड।

6– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 **देहरादून : दिनांक :24 अक्टूबर, 2020**

विषयः– कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षा–10 एवं कक्षा–12 के आवासीय विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोरोना वायरस के बढते संक्रमण के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन के कारण विद्यालय बन्द है। शासन स्तर से विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से आनलाईन शिक्षण कराये जाने के दिशा निर्देश जारी किये गये है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्याः–463 / XXIV-B-5 / 2020–3(1)2020, दिनांक24 अक्टूबर, 2020 द्वारा डे–स्कूलों के लिये मानक संचालन प्रक्रिया भी निर्गत की गयी है।

2– गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3 / 2020–डी0एम0–1(ए) दिनांक 30.09.2020 एवं शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) भारत सरकार के पत्र F.No.11-16/2020Sch.4, दिनांक 05.10.2020 द्वारा विद्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में Standard Operating Procedures (SOP) जारी किये गये है।

3– उक्त के क्रम में सत्र को नियमित करने तथा छात्रहित में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के निजी आवासीय विद्यालयों में 10 एवं 12 की कक्षाओं में दिनांक 02.11.2020 से पठन पाठन भौतिक रूप से पुनः प्रारम्भ किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(क) शासनादेश संख्याः–463 / XXIV-B-5 / 2020–3(1)2020, दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 में निर्धारित समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) उत्तराखण्ड राज्य में सरकारी आवासीय विद्यालय पृथक–पृथक प्रशासनिक विभागों द्वारा संचालित किये जा रहे है, सभी का आधारभूत सुविधाएं एवं प्रबन्ध भिन्न–भिन्न स्थिति में है। इसलिये शिक्षा विभाग के सरकारी आवासीय विद्यालयों हेतु भारत सरकार की गाईड लाइन के आधार पर महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर प्रसारित की जायेगी । इसके अतिरिक्त अन्य विभागों यथा समाज कल्याण इत्यादि द्वारा संचालित

A.Diwak
24/X/2020

क्रमशः.....2 पर

आवासीय विद्यालयों की मानक संचालन प्रक्रिया उनके प्रशासनिक विभागों द्वारा तैयार कर प्रसारित की जायेगी, तदोपरान्त ही उनके द्वारा सरकारी आवासीय विद्यालय खोलने का आदेश निर्गत किया जायेगा।

4— अतः विद्यालय खोले जाने से सम्बन्धित Standard Operating Procedures (SOP) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न एस0ओ0पी0 तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा www.mhrd.gov.in पर जारी गाईड लाईन्स का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के निजी आवासीय विद्यालयों में 10 एव 12 की कक्षाओं में भौतिक रूप से पठन—पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे। यदि किसी आवासीय विद्यालय का कोई छात्र/छात्रा अथवा उनके अभिभावक वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालय भेजने को सहमत नही होते है तो ऐसे छात्र/छात्राओं को पूर्व की भॉति ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आवासीय विद्यालय की होगी।

5— निजी आवासीय विद्यालयों को पुनः खोले जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा किसी वरिष्ठ एवं भिज्ञ अधिकारी को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा, जिसके द्वारा नियमित रूप से शासन को कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी तथा उस जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) को पदेन सहायक नोडल अधिकारी के रूप में नामित करते हुये, व्यापक प्रचार—प्रसार भी किया जायेगा।

6— प्रत्येक निजी आवासीय विद्यालय का प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय हेतु विद्यालय स्तरीय पदेन नोडल अधिकारी होगा और राज्य के मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर अपने विद्यालय की मानक संचालन प्रक्रिया की रूपरेखा शासनादेश निर्गत होने के तीन दिन के भीतर तैयार कर अपने जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेगा और प्रचार—प्रसार(संचार माध्यमों, नोटिस बोर्ड एवं मुख्य द्वार पर चस्पा कराना इत्यादि) भी सुनिश्चित करेगा। निजी आवासीय विद्यालय अपनी कार्ययोजना से कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के अभिभावकों को अवगत कराया जायेगा। यदि अभिभावक स्वेच्छा से छात्र—छात्राओं को विद्यालय भेजने हेतु सहमत होते है तो अपनी सहमति विद्यालय खुलने की तिथि से पूर्व संचार माध्यमों यथा ई—मेल इत्यादि के माध्यम से विद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें, ताकि निजी आवासीय विद्यालय का प्रबन्ध तंत्र आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर सके।

7— उपरोक्तानुसार/संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों के विरूद्ध महामारी अधिनियम की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय
Omprakash
(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

संख्या—464 (1)/XXIV—B-5/2020—03(1)2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि —निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

A.Divaker
24-10-2020

3. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड
5. राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिव, सी0बी0एस0ई, बोर्ड, नई दिल्ली।
9. सचिव, सी0आई0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली।
10. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सालावाला, हाथीबडकला, देहरादून।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, सी0बी0एस0ई, कौलागढ रोड, देहरादून।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

A. Diwakar
24/X/2020

आज्ञा से,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

शासनादेश संख्या–464 / xxiv-B-5/2020-3(1)2020, दिनांक 24.10.2020 का संलग्नक

राज्य के आवासीय विद्यालयों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

राज्य में आवासीय विद्यालयों की दो श्रेणियां है– निजी आवासीय विद्यालय तथा सरकारी आवासीय विद्यालय।

(अ) निजी आवासीय विद्यालय

1. विद्यालय खोलने से पूर्व स्वास्थ्य स्वच्छता व अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल हेतु मानक संचालन प्रक्रिया–

   (क) निजी आवासीय विद्यालयों को खोलने से पहले विद्यालय के समस्त स्टॉफ एवं छात्र छात्राओं की अधिकतम् 72 घण्टे से पूर्व कोविड–19 की निगेटिव जॉच रिपोर्ट सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को विद्यालय खोलने सम्बन्धी आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

   (ख) आवेदन प्राप्त होने के 48 घण्टे के भीतर जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट अथवा उप जिलाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से विद्यालय का भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें मुख्य रूप से छात्रावास में छात्रों के सोशल डिस्टैन्सिंग सम्बन्धी सुविधाओं को परखा जायेगा। इसके उपरान्त आवासीय विद्यालय में भोजन बनाने एवं वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली जायेगी। आवासीय विद्यालय परिसर का सैनीटाईजेशन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

   (ग) निजी आवासीय विद्यालय के प्रबन्ध तंत्र के सक्षम प्राधिकारी से इस बात का शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा कि शासन द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का उनके द्वारा अनुपालन सुनिशचित किया जायेगा तथा आवासीय विद्यालय के समस्त शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर स्टाफ की आवासीय परिसर में ही नियमित रूप से निवास की व्यवस्था समुचित रूप से कर ली गयी है, ताकि बाहरी संक्रमण को विद्यालय परिसर के भीतर प्रवेश से रोका जा सके।

   (घ) आवासीय विद्यालय में पृथक–पृथक क्वारंटीन परिसर स्थापित किये जायेगें अर्थात शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर स्टाफ हेतु पृथक तथा छात्र छात्राओं हेतु पृथक। यदि किसी कारणवश कोई भी व्यक्ति परिसर में प्रवेश करता है तो चिकित्सा विभाग के मानकानुसार क्वारंटीन रखा जायेगा। यदि कोई छात्र–छात्रा क्वारंटीन अवस्था में रखा जाता है तो उसकी सुरक्षा एवं भोजन प्रबन्ध के साथ–साथ ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय की होगी।

A. Diwaki
24/X/2020

(च) अन्य महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

1. कोविड–19 के प्रभाव के उपरान्त डे–स्कूलों के समान कक्षायें संचालित करने हेतु शासनादेश संख्याः–463/XXIV-B-5/2020–3(1)2020, दिनांक–24 अक्टूबर, 2020 द्वारा जारी एस.ओ.पी. का पालन सुनिश्चित किया जाय।
2. छात्रावास में छात्रों को पृथक करने हेतु अस्थायी पार्टीशन किया जायेगा। तदनुसार दो बच्चों के बिस्तर के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
3. सुरक्षा की दृष्टि से छात्रों के मध्य शारीरिक एवं Social distancing सुनिश्चित की जायेगी।
4. उक्त के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर संकेतक एवं संदेश चस्पा किये जायेंगे।
5. छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए पर्याप्त शारीरिक एवं Social distancing सुनिश्चित हो सके इसके लिए आवास एवं अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाय।
6. छात्रावास में न रहने वाले छात्र/छात्राओं को Online अध्ययन हेतु सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय की होगी।
7. छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए बड़ी कक्षा के छात्रों को प्राथमिकता दी जाय अर्थात सोशल डिस्टेसिंग के दृष्ठिगत सीमित स्थान होने पर मात्र कक्षा 12 के छात्रों को ही बुलाया जाय।
8. छात्रावास में रहने की अनुमति देने से पूर्व छात्रों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाय। मात्र ऐसे छात्रों को ही छात्रावास में रहने की अनुमति दी जाय जिनमें कोविड़–19 के लक्षण दृष्टिगत न हो और उनकी निगेटिव रिपोर्ट भी हो।
9. वर्तमान में भिन्न–भिन्न स्थानों पर निवास कर रहे छात्र जो सार्वजनिक परिवहन यथा बस, ट्रेन आदि से विद्यालयों को प्रस्थान करेंगे, को पूर्व में ही निर्देशित किया जाय कि वे सम्बन्धित सार्वजनिक वाहनों में अन्य यात्रियों से सम्पर्क न करें। तत्पश्चात छात्रों को राज्य सरकार की नीति/एस.ओ.पी. के अनुसार आवश्यक रूप से क्वारंटीन किया जायेगा तथा उक्त अवधि में उनके स्वास्थ्य का लगातार निरीक्षण किया जायेगा।
10. उक्तानुसार छात्रावास में प्रवेश करने वाले छात्रों के मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य की देख–रेख हेतु परामर्शदाता टीचर तथा परामर्शदाता की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
11. छात्रावास के लिए नियुक्त आवश्यक स्टाफ जो कोविड–19 के संक्रमण से ग्रसित न हो के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को छात्रावास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
12. स्वास्थ्य सम्बन्धी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए मेडिकल टीम द्वारा छात्रावास के किचन तथा मैस का कम से कम सप्ताह में एक बार निरीक्षण सुनिश्चित किया जाय। सम्बन्धित जनपद में तैनात मुख्य चिकित्साधिकारी/खाद्य निरीक्षक द्वारा भी समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा।

A. Diwakar
24/X/202

13. छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए शारीरिक/Social distancing, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छता तथा पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कराये जाने हेतु हॉस्टल स्टाफ की जागरूकता में अभिवृद्धि (Awareness enhancement) किया जाय।
14. छात्रावास में दूरदर्शन एवं रेडियो के सुचारू संचालन हेतु उच्च स्तर का Wi-Fi संयोजन/केबल संयोजन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त सुविधाओं के उपयोग हेतु शारीरिक एवं Social distancing का पालन सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त के अतिरिक्त भोजन प्रबन्ध इत्यादि हेतु जारी निम्नांकित निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाय–

आवासीय विद्यालयों में भोजन बनाये जाने के सम्बन्ध में

(1)भूमिकाः–

- कोविड–19 के दृष्टिगत बच्चों को सुरक्षा एवं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने हेतु बच्चों को गर्म खाद्य पदार्थ उनके मानक के अनुसार दिया जाये।
- इस दिशा निर्देशिका को बनाने का मुख्य उद्देश्य राज्य/जनपद/ब्लाक अधिकारियों/कार्मिकों/विद्यालय प्रबन्ध तंत्र को भोजन बनाने एवं वितरण करने में खाद्य सुरक्षा/स्वास्थ्य/स्वच्छता को बनाये रखने हेतु उनको संवेदनशील बनाना ताकि वे जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

(2) विद्यालयों में भोजनमाताओं (रसोईये) का प्रवेशः–

- सम्बन्धित जनपद/ब्लाक/स्तरीय प्रशासन एवं सम्बन्धित विद्यालय की यह जिम्मेदारी होगी कि कोई भी भोजनमाता/कुक कोविड पॉजिटिव न हो।
- विद्यालय में कार्य करने से पूर्व प्रत्येक भोजनमाता/कुक को स्वघोषणा करनी होगी कि वह स्वयं एंव उसके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हैं।
- प्रत्येक भोजनमाता/कुक का रसोई कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व तापमान जांचना (Thermal Screeing) की जानी आवश्यक है।
- प्रत्येक दिन के तापक्रम का अभिलेखीकरण किया जाये।
- प्रत्येक भोजनमाता/कुक को रसोई कक्ष प्रवेश के दौरान कम से कम 40 सेकेन्ड तक Sanitize एवं हस्त प्रक्षालन निर्धारित विधि से कराया जाये।
- प्रत्येक भोजनमाता के लिये आवश्यक होगा कि सफाई, धुलाई, काटना, भोजन बनाना एवं खाना वितरण के समय मास्क का प्रयोग करेंगे। यदि हाथ से बना हुआ मास्क का प्रयोग होता है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि वह नियमित रूप से धोया जाये।
- नेल पॉलिस या कृत्रिम नाखून का प्रयोग भोजन बनाते समय कदापि न किया जाये।
- खाना बनाते एवं वितरण के समय घड़ी, आभूषण, चूड़ियां आदि कदापि न पहना जाये, क्योंकि इससे खाना संक्रमित होने की सम्भावना बनी रहती है।
- भोजनमाता/कुक अथवा किसी भी व्यक्ति को विद्यालय में थूकने एवं नाक खुजलाने पर रोक लगायी जाये, ताकि खाने के संक्रमित होने की सम्भावना न हो।
- भोजनमाता/कुक को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ अप्रैन एवं हैड गेयर, गलब्ज उपलब्ध कराये जायें।

A. Diwak
24/X/2020

- यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रत्येक भोजनमाता/कुक खाना बनाते समय साफ सुथरा ऐप्रन एवं हैड कवर पहने।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि भोजनमाता/कुक को प्रत्येक अनैच्छिक/ऐच्छिक गतिविधि यथा खांसना, जुखाम, शौचालय जाना, टेलीफोन करना आदि के पश्चात् कम से कम 40 सेकन्ड तक हस्त प्रक्षालन (Hand Wash)किया जाये।
- भोजनमाता/कुक को सतर्क रहना है कि भोजन बनाते समय नाक खुजाना, बालों में उंगली फिराना, आंखों/कान/मुँह को खुजाना, दाढ़ी खुजाना, शरीर के अन्य हिस्सों को खुरचना आदि खतरनाक हो सकता है, जिससे भोजन के संक्रमित होने की प्रबल सम्भावना होती है।
- वॉश बेसिन/हैंड पम्प/पानी की टोंटी के पास प्रत्येक समय साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये, ताकि नियमित अंतराल पर भोजनमाता/कुक हस्त प्रक्षालन कर सके।
- प्रत्येक भोजनमाता/कुक एवं अध्यापक के स्वच्छता, सफाई/सुरक्षा भौतिक/सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु जागरूकता अभिवृद्धि(Awareness enhancement) डिजिटल मोड के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये।

(3) किचन कम स्टोर अथवा भोजन बनाने के स्थान की साफ सफाई के सम्बन्ध में:—

- विद्यालय के पुनः खुलने पर 24 घंटे पूर्व किचन कम स्टोर/भोजन बनाने के स्थान की वृहद सफाई एवं सैनिटाईजेशन किया जाये।
- दैनिक आधार पर किचन कम स्टोर की खाना बनाने से पूर्व सफाई सुनिश्चित की जाये।
- खाना बनाने से पूर्व एवं पश्चात् एवं किचन कम स्टोर की फर्श एवं सामान रखने हेतु स्लैब की अच्छे से साफ सफाई की जाये।
- यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि ऐसा स्थान जो खाद्य पदार्थों के सीधे संपर्क में आये, उसके प्रयोग से पूर्व उसकी सफाई करने के पश्चात् उसे सुखा लिया जाये।
- किचन कम स्टोर के टूट-फूट एवं दरारों, फर्श का खुरदरापन एवं उनके खुले जोड़ों की यथाशीघ्र मरम्मत कर ली जाये।
- बचे हुये खाने के निस्तारण एवं गंदे पानी के निकासी का व्यापक एवं पर्याप्त प्रबन्ध किया जाये। अपमिश्रण का मुख्य स्त्रोत गंदे पदार्थ, दूषित पानी, शौचालय, खुले पानी का निकास और आवारा पशुओं को किचन कम स्टोर से दूर रखा जाये।
- प्राकृतिक एवं मशीनीकृत यथा खिड़कियां एवं Exhaust Fan इत्यादि इस प्रकार से बनाये जाये, जिससे दूषित हवा दूषित वातावरण से स्वच्छ वातावरण में न आये।

(4) भोजन बनाने कें बर्तनों एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में:—

- सफाई के मुख्य सहायक उपकरण यथा कपड़े, झाड़ू पोंछा, ब्रश अशुद्धि फैलाने के मुख्य स्त्रोत हैं। अतः प्रयोग करने से पूर्व इनके धोने सफाई एवं सुखाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- सफाई के सहायक उपकरणों का उपयोग किचन में ही किया जाये। किचन से बाहर न किया जाये।

A. Diwak
24/X/2020

- सफाई के उपकरणों को साफ करने के पश्चात् उन्हें धूप में सुखाया जाये।
- मेज, बेंच, अलमारी के बोर्ड गिलास आदि को साफ सुथरा किया जाये। खाना बनाने के बर्तन एवं क्रॉकरी को साफ एवं अच्छी स्थिति में रखा जाये। वे टूटे फूटे नहीं होने चाहिये। सभी किचन उपकरण/बर्तनों को प्रयोग करने से पूर्व साफ धो कर धूप में सुखाया जाय। बर्तनों को धोने एवं कीटाणु रहित करने हेतु गर्म पानी (60 डिग्री सेल्सियस से अधिक) का प्रयोग किया जाये।
- बर्तनों/हाथों/फर्श को साफ करने के लिये साफ कपड़े का प्रयोग किया जाये। फर्श की सफाई हेतु इस्तेमाल होने वाले कपड़े का प्रयोग मेजों के तल, खाना बनाने वाले स्थान एवं बर्तनों के सफाई के लिये न किया जाये।
- प्लेट अथवा बर्तनों में बचे हुये खाने को डस्टबिन में कपड़े अथवा वाइपर की सहायता से डस्टबिन में डाला जाये। खाना खाने के बर्तन अथवा खाना बनाने की सामग्री को रखने वाले कंटेनर को उचित ढंग से बंद किया जाय।

(5) पुराने खाद्य पदार्थ, तेल, वसा एवं अन्य खाद्य सामग्री के उपयोग से पूर्व जांचः–

- बचे हुये खाद्यान्न, तेल, खाद्य सामग्री, घी आदि का प्रयोग करने से पूर्व भली भांति उसकी गुणवत्ता की जांच कर ली जाये, क्योंकि काफी लंबे समय से विद्यालयों के बन्द होने के कारण दीर्घ समय से रखे होने के कारण वे संभव है कि वे प्रयोग हेतु उपयुक्त न हों।
- खाद्य सामग्रियों का प्रयोग FEFO(First expired, First out) के अनुसार किया जाये।

(6) सब्जियो को काटने, धोने एवं खाद्य पदार्थों तथा दालों की सफाई के सम्बनध में:–

- सब्जी, फल एवं जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्रियों को ताजी खरीदा जाय एवं उनका लंबे समय तक भण्डारण न किया जाये।
- सब्जियों को प्रयोग करने से पूर्व उनको पानी से अच्छे से साफ कर लिया जाये। सब्जियों को साफ करने के लिये नमक, हल्दी, 50 पीपीएम क्लोरीन (समतुल्य घोल) का मिश्रण बना कर उसको साफ पानी से धोया जाये जिससे कि गंदगी एंव अपमिश्रण पदार्थ हट जाये।
- खाद्यान्न, दालों को प्रयोग करने से पूर्व उसको अच्छी तरह से साफ कर लिया जाये।
- खाद्य सामग्रियों के Sealed पैकेटों को अच्छी तरह से साबुन के पानी में धो कर धूप में सुखाया जाये। जार में डालने से पूर्व साबुन से हाथ धोने के पश्चात् ही बर्तनों में डाला जाये।
- ऐसे कच्चे खाद्य पदार्थ, एवं तेल मसाले प्रयोग में न लाया जाये, जिनमें कीड़े, सूक्ष्म कीड़े, कीटनाशक, विषैले पदार्थ आदि सम्मिलित हों।
- किचन में भोजन बनाये जाने हेतु जहॉ तक सम्भव हो किचन की विभिन्न गतिविधियों के लिए यथोचित दूरी का पालन किया जायेगा यथा कच्ची सामग्री क्रय करने, सब्जी काटे जाने, अनाज व दालों की सफाई किये जाने, खाना बनाये जाने का स्थान एवं पकाये हुए भोजन को रखे जाने हेतु सुरक्षित दूरी अपनायी जायेगी।
- शारीरिक दूरी बनाये जाने हेतु रसोईया एवं सहायक अलग–अलग दिशा में मुंह करके आवंटित कार्यों का संचालन करेंगे।

A. Diwaker
24/X/2020

- विद्यालय खुलने से पूर्व विद्यालय में स्थित सभी पानी की टंकियों को पूर्णतया स्वच्छ/साफ किया जायेगा तथा समय–समय पर उक्त टंकियों की सफाई की जायेगी।
- प्रयुक्त न हो सकने वाले पानी के पाइप तथा प्रयुक्त हो सकने वाले पानी के पाइप को स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किया जायेगा।
- विद्यालय में कूडे के निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी तथा उक्त का रख–रखाव इस तरह से किया जायेगा कि भोजन तथा स्वच्छ पेयजल दूषित न हो। कूड़ेदान/टैंक ऐसे स्थलों पर स्थापित किये जायें ताकि भोजन प्रक्रिया, भोजन भण्डारण, किचन का आंतरिक/वाह्य वितरण न हो। कूड़ेदान में ढक्कन की व्यवस्था हो तथा समय–समय पर उसका निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- विद्यालय में बचे हुए भोजन का समय–समय पर निस्तारण किया जाय।
- बचे हुए भोजन तथा अवशेष के निस्तारण हेतु ईको–फ्रेंडली तरीके से वर्मी कम्पोस्टिंग की जाय।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप अवशेष भोजन का निस्तारण किया जायेगा।
- उत्तरदायी लोगों का सहयोग– वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर अभिभावकों, आम जन समुदायों, एस.एम.सी. सदस्यों (School Management Committee) एवं शिक्षकों का छात्रों को सुरक्षित एवं स्वच्छ रीति से भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग लिया जायेगा।

आवासीय विद्यालय में भोजन परोसा जाना

1. भोजन परोसने एवं भोजन करने का स्थल भोजन करने से पूर्व तथा भोजन करने के बाद सेनिटाइज किया जायेगा।
2. शारीरिक एवं Social distancing के नियमों का पालन करने हेतु भोजन परोसे जाने के लिए पर्याप्त स्थान निर्धारित किया जायेगा तथा अलग–अलग ग्रुप में भोजन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
3. यदि स्थान की कमी के कारण भोजन के वितरण हेतु छात्रों के ग्रुप को अलग–अलग हिस्सों में बाटना सम्भव न हो तो बच्चों को भोजन उनकी कक्षाओं में ही वितरित किया जायेगा। यदि भोजन विद्यालय के वरामदे एवं डायनिंग हाल में कराया जा रहा हो तो ऐसे स्थलों पर छात्रों के बैठने हेतु स्थानों की मार्किंग की जायेगी। कुक कम हेल्पर भोजन वितरित करते समय सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण यथा फेस मास्क, हेड कवर धारण करेंगे तथा छात्रों से पर्याप्त दूरी बनाये रखेंगे।
4. भोजन ग्रहण करने के समय को छोडकर भोजन वितरण करते समय तथा डायनिंग एरिया में उपस्थिति के समय छात्र फेस मास्क का आवश्यक रूप से प्रयोग करें।
5. छात्रों को वितरित किये जाने वाले भोजन का तापमान 65 डिग्री सेल्सियस हो तथा भोजन तैयार होने के तत्काल बाद बच्चों को भोजन वितरित किया जायेगा।
6. छात्रों द्वारा कम से कम 40 सेकण्ड तक अपना हाथ धोना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. छात्रों के उक्तानुसार हाथ धोने की प्रक्रिया का शिक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।
8. जहॉ हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध न हो अथवा छात्रों की संख्या के अनुसार पर्याप्त न हो वहॉ बाल्टी तथा मग का इस्तेमाल कर उक्तानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

A.Diwakar
24/XI/22

भोजन ग्रहण करने से पूर्व तथा बाद में छात्रों द्वारा हाथ धोना– भोजन ग्रहण करने से पूर्व एवं बाद में छात्रों को कम से कम 40 सेकण्ड तक साबुन से हाथ धोने हेतु प्रेरित किया जायेगा। शारीरिक एवं Social distancing सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों द्वारा हाथ घोने हेतु एक स्थान तय किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु यदि अन्य सुविधायें उपलब्ध न हो तो कम से कम प्लास्टिक की खाली बोतलों में पानी के साथ साबुन का घोल मिलाकर रखा जायेगा तथा छात्रों द्वारा हाथ धोने हेतु उक्त का प्रयोग किया जायेगा।

पेयजल की आपूर्ति– विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित की जायेगी। जहॉ पेय जल की निरंतरता उपलब्ध न हो वहॉ स्वच्छ पानी के भण्डारण की, भोजन बनाये जाने एवं हाथ धोये जाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। भोजन सामग्री को साफ किये जाने, हाथ धोये जाने एवं भोजन पकाये जाने हेतु शुद्ध पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(ब) सरकारी आवासीय विद्यालय

राज्य में सरकारी आवासीय विद्यालय पृथक–पृथक प्रशासनिक विभागों द्वारा संचालित किये जा रहे है, सभी की आधारभूत सुविधाएं एवं प्रबन्ध भिन्न–भिन्न स्थिति में है। इसलिये शिक्षा विभाग के सरकारी आवासीय विद्यालयों हेतु भारत सरकार की गाईडलाइन्स के आधार पर महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर प्रसारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों यथा समाज कल्याण इत्यादि द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों की मानक संचालन प्रक्रिया उनके प्रशासनिक विभागों द्वारा तैयार कर प्रसारित की जायेगी।

A. Tiwari
24/X/22